

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, भरतपुर

क्रमांक:—खअ/भरत/निविदा-01/2026/राजकाज

दिनांक:—यथाहस्ताक्षर

श्रीमान निदेशक,
निदेशालय सूचना एवं जन संपर्क विभाग
सचिवालय राजस्थान जयपुर।

विषय:— जब्तशुदा खनिज नीलामी की निविदा विज्ञप्ति प्रकाशन बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम 54 व 60 के तहत जब्तशुदा खनिज चेजा पत्थर की नीलामी बाबत निविदा आमंत्रण हेतु विज्ञप्ति मय सॉफ्टकॉपी एक राज्य स्तरीय मुख्य दैनिक समाचार पत्र एवं एक अखिल भारतीय स्तर के समाचार पत्र में नियमानुसार प्रकाशन हेतु संलग्न कर प्रेषित है। इसका यू.बी.एन..... है।

संलग्न उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(के.सी.गोयल)

खनि अभियंता, भरतपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. जिला कलक्टर भरतपुर/डीग।
2. निदेशक खान एवं भू विज्ञान विभाग, राजस्थान उदयपुर।
3. नोडल अधिकारी, डीएमजीओएमएस, निदेशालय खान एवं भू विज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
4. अतिरिक्त निदेशक (खान) कोटा, क्षेत्र कोटा।
5. अधीक्षण खनि अभियन्ता भरतपुर वृत्त भरतपुर।
6. उपखण्ड अधिकारी.....समस्त जिला भरतपुर/डीग।
7. तहसीलदार..... समस्त जिला भरतपुर/डीग।
8. थानाधिकारी पुलिस थाना गोपालगढ़ (डीग)/मथुरा गेट (भरतपुर)।
9. सहायक प्रोग्रामर, कार्यालय हाजा को एसपीपीपी पोर्टल एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

खनि अभियंता, भरतपुर



राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, भरतपुर

क्रमांक:—खअ/भरत/निविदा-01/2026/राजकाज

दिनांक:—यथाहस्ताक्षर

नीलामी सूचना प्रकाशन 01/2026

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि भरतपुर व डीग जिले के विभिन्न राजस्व ग्रामों के खातेदारी/सरकारी खसरों में अवैध खनन/निर्गमन चैकिंग के दौरान एमएमसीआर 2017 के नियम 54 व 60 के तहत जब्तशुदा खनिज **चेजा पत्थर** जैसी है उसी स्थिति में नीलामी हेतु दरें सीलबंद लिफाफे में आमंत्रित की जाती है। जिनका विवरण निम्न तालिका व विभागीय वेबसाईट www.mines.rajasthan.gov.in एवं कार्यालय नोटिस बोर्ड पर उपलब्ध है। उक्त नीलामी में भाग लेने हेतु नीलामी प्रपत्र 1000/- रु का डी.डी./बैंकर्स चैक "खनि अभियन्ता भरतपुर" (MINING ENGINEER BHARATPUR) के नाम से जमा कराकर किसी भी कार्य दिवस में दिनांक 17 फरवरी 2026 (दोपहर 3.00 बजे) तक कार्यालय खनि अभियन्ता, भरतपुर से प्राप्त किये जा सकते हैं।

नीलामी हेतु खनिज चेजा पत्थर का संक्षिप्त विवरण—

क्र. सं.	तहसील, राजस्व ग्राम जंहा खनिज पडा हुआ है	खनिज का नाम	खनिज की अनुमानित मात्रा (टनों मे)	बयाना/अमानत राशि (रु. में)	न्यूनतम बोली राशि (रु. में)
1	निकटग्राम बिजासना तहसील पहाडी जिला डीग	मै. स्टोन	5500	48400	24,20,000
2	सारस चौराहा के पास, भरतपुर	मै. स्टोन	475	4180	2,09,000

उपरोक्तानुसार दो समूहों में पडे जब्तशुदा खनिज चेजा पत्थर के लिए अलग-अलग बोली दरें सीलबंद लिफाफे मे दिनांक **17 फरवरी 2026 (सायंकाल 5.00 बजे)** तक प्राप्त की जायेगी। निर्धारित समय तक प्राप्त सीलबंद लिफाफे कमेटी द्वारा दिनांक **18 फरवरी 2026 को प्रातः 11.00 बजे** उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोले जायेगे। नीलामी की शर्तें एवं विस्तृत जानकारी विभागीय वेबसाईट www.mines.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध रहेगी व किसी भी कार्यदिवस में कार्यालय समय में कार्यालय नोटिस बोर्ड पर देखी जा सकती है।

(के.सी.गोयल)
खनि अभियन्ता, भरतपुर

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, भरतपुर

क्रमांक:-खअ/भरत/निविदा-01/2026/राजकाज

दिनांक:-यथाहस्ताक्षर

नीलामी हेतु उपलब्ध खनिजों का विवरण

जिला भरतपुर व डीग के विभिन्न राजस्व ग्रामों में खातेदारी/सरकारी भूमियों में अवैध खनन/निर्गमन/भण्डारण की चैकिंग के दौरान जब्त शुदा खनिजों की नीलामी हेतु सीलबंद लिफाफे में दरे दिनांक 17 फरवरी 2026 (सायंकाल 5.00 बजे) तक कार्यालय खनि अभियन्ता, भरतपुर में आमंत्रित की जाती है। प्राप्त सीलबंद लिफाफे कमेटी द्वारा दिनांक 18 फरवरी 2026 को प्रातः 11.00 बजे उपस्थित नीलामीदाताओं के समक्ष खनि अभियन्ता भरतपुर के कक्ष में खोली जायेगी।

नीलामी हेतु खनिज चेजा पत्थर का संक्षिप्त विवरण-

क्र. सं.	तहसील, राजस्व ग्राम जंहा खनिज पडा हुआ है	खनिज का नाम	खनिज की अनुमानित मात्रा (टनों मे)	बयाना/अमानत राशि (रु. में)	न्यूनतम बोली राशि (रु. में)
1	निकटग्राम बिजासना तहसील पहाडी जिला डीग	मै. स्टोन	5500	48400	24,20,000
2	सारस चौराहा के पास, भरतपुर	मै. स्टोन	475	4180	2,09,000

नीलामी कार्यवाही हेतु शर्तें निम्नानुसार रहेगी :-

1. निविदा सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत करनी होगी। लिफाफे पर स्पष्ट रूप से राजस्व ग्राम का नाम का नाम एवं खनिज का नाम लिखा होना चाहिए। सभी निविदाएं कार्यालय खनि अभियन्ता भरतपुर में रखे टेण्डर बॉक्स में दिनांक 17 फरवरी 2026 (सायंकाल 5.00 बजे) तक डाली जा सकेगी।
2. प्रत्येक स्टॉक के लिये अलग-अलग निविदा अलग-अलग लिफाफे में प्रस्तुत की जायेगी (प्रत्येक के लिये एक)। निविदा के साथ उपर वर्णितानुसार बयाना/अमानत राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक जो **खनि अभियन्ता, भरतपुर** के नाम हो, निविदा प्रपत्र के साथ सीलबन्द लिफाफे में प्रस्तुत करना होगा। यदि कोई निविदादाता अलग-2 थाना/खसरा संख्या जिसमें खनिज पडा है, लिये निविदा प्रस्तुत करता है तो बयाना/अमानता राशि के डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक भी अलग-अलग ही संलग्न करने होंगे।
3. निविदा प्रपत्र के साथ इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा, कि निविदादाता या फर्म, फर्म के भागीदारो/कम्पनी, कम्पनी के निदेशको या उसके परिवार के सदस्यो के विरुद्ध विभाग की कोई राशि बकाया नहीं है।
4. जब्तशुदा खनिजो की गुणवत्ता एवं मात्रा का निरीक्षण निविदा प्रस्तुत करने की तिथि से पूर्व किसी भी कार्य दिवस में संबंधित मौके पर की जा सकती है।

5. जब्तशुदा खनिज जैसी भी, जितनी भी, जहां भी है, उसी स्थिति में सफल निविदादाता को सुपुर्द किया जावेगा।
6. प्राप्त निविदाएँ कमेटी द्वारा दिनांक 18 फरवरी, 2026 को प्रातः 11.00 बजे उपस्थित निविदादाता के समक्ष खनि अभियंता, भरतपुर के कक्ष में खोली जायेगी एवं उच्चतम निविदादाता की घोषणा की जावेगी तथा उच्चतम निविदादाता को सम्पूर्ण राशि जमा कराने का पत्र दिया जावेगा। पत्र प्राप्ति के 3 कार्य दिवस में सम्पूर्ण राशि जमा कराने पर खनिज उठाने की अनुमति जारी की जावेगी। खनिज बजरी के अतिरिक्त अन्य खनिजों के लिये 10 दिवस में समस्त खनिज का उठाव करना होगा तथा खनिज बजरी के परिवहन हेतु अवधि 5 दिवस सहित अधिकतम 6 दिवस ही रहेगी अन्यथा जमा राशि जब्त करते हुये खनिज पुनः राजकीय पक्ष में ले ली जायेगी।
7. निविदादाता को खनिजों के स्टॉक को उठाने की कार्यवाही (लोडिंग, अनलोडिंग, लेबर व परिवहन इत्यादि) अपने स्तर पर ही करनी होगी। इसमें विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
8. निविदादाता को एड्रेस प्रुफ, फोटो आईडी प्रुफ इत्यादि की प्रति, फर्म के मामले में फर्म का पंजीयन प्रमाण पत्र, भागीदारीनामा एवं मुख्यारनामा यदि जारी किया हुआ हो तथा कम्पनी के प्रकरण में मेमोरेण्डम ऑफ आर्टिकल, निदेशको की सूची इत्यादि की प्रति स्वःहस्ताक्षरित साथ लाना होगा।
9. निविदादाता को आयकर विभाग के पेन नम्बर की प्रति संलग्न करनी होगी।
10. उच्चतम निविदादाता को बोली राशि के अलावा GST/Tax आदि नियमानुसार अतिरिक्त जमा कराना होगा।
11. नीलामी में प्राप्त निविदाओं को स्वीकार/अस्वीकार करने का अन्तिम निर्णय निविदा कमेटी का होगा तथा निविदा के संबंध में यदि कोई उज्र/आपत्ति होने पर इस पर निर्णय करने का सर्वाधिकार निदेशालय द्वारा गठित कमेटी के पास सुरक्षित होंगे।
12. सफल निविदादाता द्वारा सम्पूर्ण निविदा राशि जमा कराये जाने के उपरांत कार्यालय खनि अभियन्ता भरतपुर द्वारा वाहन के वजन क्षमता अनुसार रवन्ना जारी की जायेगी तथा खनिज के परिवहन की स्वीकृति प्रदान की जावेगी। कोई भी वाहन बिना रवन्ना के निर्गमित नहीं किया जा सकेगा।
13. खनिज मात्रा 500 टन से अधिक खनिज को एक समय में कम से कम 10 वाहनों में विभागीय कार्मिक की उपस्थिति में भरकर व तुलवाकर ही परिवहन किया जा सकेगा। 500 टन से कम मात्रा के स्टॉक हेतु आवश्यक वाहनों की तदनुसार एक ही बार में व्यवस्था करनी होगी।
14. तुलाई के बाद वाहनों के निर्गमन से पूर्व इनका इन्द्राज विभागीय कार्मिक द्वारा स्टॉक हेतु संधारित की जाने वाली स्टॉक पंजिका में किया जायेगा।

15. विभागीय कार्मिकों द्वारा नीलामी की गई खनिजों के परिवहन में प्रयुक्त विभागीय रवन्ना वाहनो की फोटो एवं कम्प्यूटरीकृत/अधिकृत तुला यंत्र के वजन की पर्ची कार्यालय में प्रस्तुत करेगे।
16. शेष सभी शर्तें सामान्य एवं वित्तीय लेखा नियमों के अनुसार होगी।

(के.सी.गोयल)

खनि अभियंता, भरतपुर

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. जिला कलक्टर भरतपुर/डीग।
2. निदेशक खान एवं भू विज्ञान विभाग, राजस्थान उदयपुर।
3. नोडल अधिकारी, डीएमजीओएमएस, निदेशालय खान एवं भू विज्ञान विभाग उदयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
4. अतिरिक्त निदेशक (खान) कोटा क्षेत्र, कोटा।
5. अधीक्षण खनि अभियन्ता भरतपुर वृत भरतपुर।
6. उपखण्ड अधिकारी.....समस्त जिला भरतपुर/डीग।
7. तहसीलदार..... समस्त जिला भरतपुर/डीग।
8. थानाधिकारी पुलिस थाना गोपालगढ़ (डीग)/मथुरा गेट (भरतपुर)।
9. सहायक प्रोग्रामर, कार्यालय हाजा को एसपीपीपी पोर्टल एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

खनि अभियंता, भरतपुर